(154)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक	भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2012

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषयः–भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने बाबत्।

—0—

भूतपूर्व सैनिकों को राज्य शासन की सेवाओं में आरक्षण देने हेतु मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 लागू किया गया है। इस नियम में सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.04.1999 द्वारा संशोधन करते हुए किसी भी वर्ष में सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 10 प्रतिशत एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की रिक्तियों में 20 प्रतिशत "होरिजेण्टल" (प्रवर्गवार) आरक्षण का प्रावधान है।

2/ राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों तथा चयन संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापनों में भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का उल्लेख नहीं किया जाता है, जिससे भूतपूर्व सैनिक आवेदन करने से वंचित रहते है। दूसरी ओर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार न मिलने के कारण इन पदों की पूर्ति हेतु अनेक विभाग सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन चाहते है।

3/ अतः समस्त संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु भेजे जाने वाले मांग पत्र/जारी किये जाने वाले विज्ञापनों में, भूतपूर्व सैनिकों के "होरिजेण्टल" आरक्षण अनुसार रिक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। चयन संस्थाओं को भी यह निर्देशित किया जाता है कि वह विभागों से प्राप्त मांग पत्रों में उपरोक्तानुसार भूतपूर्व सैनिकों के "होरिजेण्टल" आरक्षण का समावेश कराने के बाद ही विज्ञापन जारी करें।

4/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

22/09/2012

(शिवानन्द दुबे)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है

पृष्ठां. क्रमांक एफ 9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
7. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर।
8. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर।
10. संचालक, मध्यप्रदेश सैनिक कल्याण बोर्ड, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(आर0 के0 गजभिये)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

बेटी है तो कल है